बिल का सारांश

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (असम संशोधन) बिल, 2023

- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (असम संशोधन) बिल, 2023 को 14 सितंबर, 2023 को असम विधानसभा में पेश किया गया। बिल संसद में पारित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार एक्ट, 2013 में असम राज्य से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करता है। 2013 का एक्ट सरकार या निजी कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण का प्रावधान करता है। इसमें अधिग्रहण प्रक्रिया से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन देने का भी प्रावधान किया गया है।

- **राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं को छूट**: अगर भूमि निजी या सार्वजनिक-निजी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जा रही है तो 2013 के एक्ट के तहत भूस्वामियों की सहमति जरूरी है। एक्ट सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन को भी अनिवार्य करता है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) यह आकलन करना कि क्या प्रस्तावित अधिग्रहण कोई सार्वजनिक उद्देश्य पूरा करता है, (ii) प्रभावित परिवारों का अनुमान, और (iii) भूमि, सार्वजनिक और निजी घर और सामान्य संपत्ति किस सीमा तक प्रभावित हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त यह असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, सिंचित बहुफसली भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाता है। बिल राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा हेतु महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि को इन प्रावधानों से छूट देता है, जिसमें रक्षा या रक्षा उत्पादन की तैयारी भी शामिल है। यह उपरोक्त उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में पुनर्वास और पुनर्स्थापन की आवश्यकता को भी हटाता है। इसके बदले राज्य सरकार मुआवजे के रूप में एकमुश्त राशि का भुगतान करेगी।

- जांच के बिना भूमि देना: 2013 के एक्ट के तहत, कलेक्टर को नोटिस देना होगा और प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण पर सार्वजनिक आपत्तियों की जांच करनी होगी। जांच के बाद कलेक्टर भूमि का वास्तविक क्षेत्र, भूमि का मुआवजा और भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के बीच मुआवजे का विभाजन निर्धारित करेगा। बिल के अनुसार, अगर सभी संबंधित व्यक्तियों ने लिखित में एक समझौता कर लिया है तो कलेक्टर किसी जांच के बिना यह कार्य कर सकता है।

- **मुआवजे के दावे**: एक्ट के तहत, अगर भूमि 2013 के एक्ट के लागू होने से पहले अधिग्रहित की गई थी और तब तक अधिकांश भूमि जोत के लिए मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था, तो निर्दिष्ट लाभार्थी 2013 के एक्ट के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे। बिल में प्रावधान है कि लाभार्थियों को 2013 के एक्ट के अनुसार मुआवजा तभी मिलेगा, जब भूमि एक्ट के लागू होने से कम से कम पांच साल पहले अधिग्रहित की गई हो। इस अवधि में कानूनी कार्यवाही के परिणामस्वरूप होने वाला विलंब शामिल नहीं होगा।

- **अधिग्रहित भूमि पर परिसंपत्ति की कीमत**: एक्ट के तहत अधिग्रहित भूमि या भवन से जुड़ी अचल संपत्ति के मूल्य की गणना मुआवजे में की जानी चाहिए। बिल निर्दिष्ट करता है कि ऐसी अचल संपत्ति के परिसंपत्ति मूल्य की गणना मूल्यह्रास के लेखांकन के बाद की जानी चाहिए।

- **अधिग्रहित भूमि की वापसी**: एक्ट में प्रावधान है कि अगर अधिग्रहित भूमि, भूमि पर कब्ज़ा लेने की तारीख से पांच साल तक प्रयोग नहीं होती है तो उसे मूल मालिकों, उनके कानूनी उत्तराधिकारियों या सरकारी भूमि बैंक को वापस कर दिया जाना चाहिए। इसके बजाय बिल में प्रावधान है कि अप्रयुक्त भूमि को पांच साल या

प्रियदर्शिनी जैन
priyadarshini@prsindia.org

5 दिसंबर, 2023

परियोजना स्थापित करने के लिए निर्दिष्ट अवधि, जो भी बाद में हो, के बाद वापस किया जाना चाहिए।

- **भूमि का स्वैच्छिक अधिग्रहण**: बिल राज्य सरकार को यह अनुमति देता है कि वह सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि बेचने के इच्छुक भूस्वामियों से भूमि अधिग्रहण हेतु एक समझौता कर सकती है। जहां भूमि मालिकों के अलावा अन्य परिवार ऐसे अधिग्रहण से प्रभावित होते हैं, राज्य सरकार उनके पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए एकमुश्त राशि का भुगतान भी करेगी।
- **छूट**: बिल के प्रावधान असम भूमि (मांग और अधिग्रहण) एक्ट, 1964 के तहत अधिग्रहण पर लागू नहीं होंगे। 1964 का एक्ट राज्य सरकार को मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए भूमि की मांग और अगर जरूरी हो तो अधिग्रहण की अनुमति देता है। हालांकि 2013 के एक्ट के मुआवजे और पुनर्वास संबंधी प्रावधानों को ऐसे अधिग्रहण पर लागू किया जा सकता है। ऐसा राज्य विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद ही किया जा सकता है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च ("पीआरएस") के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।